न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 05/2011

बउनवान

1. बद्रीलाल पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल
2. रामकरण पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल
3. घनश्याम पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल जातियान धाकड़ निवासीगण देवपुरा तह0 अंता जिला बारां

(प्रार्थीगण)

बनाम

जगन्नाथ पुत्र चंपालाल जाति बैरवा निवासी देवपुरा तह0 अंता (अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) कृषि भू आवंटन नियम, 1970 आवंटन दिनांक 01.12.1976

उपस्थिति :— 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II , अभिभाषक (प्रार्थीगण)
2. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा, अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 07.08.2024

प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम देवपुरा तह0 अन्ता की आराजी खसरा नंबर 241 रकबा 0.53 है. जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक खसरा नंबर 139 था का दिनांक 01.12.1976 को अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा पर प्रार्थीगण व उनके पूर्व उनके पिता गोपाल उर्फ रामगोपाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 239 रकबा 1.69 है. में मिली हुई है तथा जायज अर्सा 65 वर्ष से उक्त आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नंबर 241 रकबा 0.53 है. पर प्रार्थीगण एवं उनके पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा इस आराजी को प्रार्थीगण ने पिता ने नौतोड़ कर काफी धन एवं श्रम खर्च कर काबिल काश्त बनाया है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के खेत में मिली हुई छोटी पट्टी के रूप में होने के कारण उक्त आराजी उनको नियमन की जानी चाहिये थी परन्तु भू आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन किया गया है। आवंटी ने आज दिनांक तक कभी उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं किया है जिससे आवंटन नियमों का उल्लंघन हुआ है। आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटी को 1/2 हिस्से पर 6 माह के अन्दर तथा सम्पूर्ण आराजी पर दो वर्ष के अंदर कब्जा प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 01.12.1976 आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नंबर 241 रकबा 0.53 है. निरस्त किया जाकर सिवायचक दर्ज की जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी में मिली हुई होने के कारण पुराने कब्जे के आधार पर धारा 20 के तहत नियमन किये जाने का आदेश आवंटन कमेटी को प्रदान किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर ... की जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय से पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी वांछित आवश्यक रेकार्ड प्राप्त नहीं होने पर हमने पत्रावली में संलग्न रेकार्ड के आधार पर ही बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:17:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नंबर 241 रकबा 0.53 है. पर 65 वर्ष से अधिक समय से प्रार्थीगण एवं उनके पिता काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पिता ने अपने खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 239 रकबा 1.69 है. में मिली हुई छोटी पट्टी के रूप में स्थित अप्रार्थी को आवंटित आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नंबर 241 रकबा 0.53 है. को काफी धन एवं श्रम खर्च कर काबिल काश्त बनाया था। इस कारण सर्वप्रथम आवंटन कमेटी को पुराने कब्जे के आधार पर उक्त आराजी प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन करना चाहिये था। अप्रार्थी का आवंटन तिथि से आज दिनांक तक उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटी को 1/2 हिस्से पर 6 माह के अन्दर तथा सम्पूर्ण आराजी पर दो वर्ष के अंदर कब्जा प्राप्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 01.12.1976 आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नंबर 241 रकबा 0.53 है. निरस्त किया जाकर उक्त आराजी सिवायचक दर्ज की जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी में मिली हुई होने के कारण पुराने कब्जे के आधार पर धारा 20 के तहत नियमन किये जाने का आदेश आवंटन कमेटी को प्रदान किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने अभिभाषक प्रार्थीगण के कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी भूमिहीन होने के कारण उक्त आराजी अप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटित की गई थी। आवंटन के पश्चात आवंटित आराजी पर अप्रार्थी को नियमानुसार दखल दिया जाकर आराजी अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी। वर्तमान में अप्रार्थी के निर्बाध कब्जे तथा उसके द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने से उक्त आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नंबर 241 रकबा 0.53 है. मुताबिक जमाबंदी ग्राम देवपुरा संवत 2063–66 खाता संख्या 32 में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। तथा खातेदार के विरूद्ध कार्यवाही अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम की धारा 14(4) के तहत चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2063–66 ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा नंबर 241 रकबा 0.53 है. अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:17:00 IST
Reason: SelfAttested